

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

विशेष

पिठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर०ए०एस०

वाद सं० 435/16

निर्णय दिनांक: 14.03.2018

1. रामेश्वर पुत्र स्व० भंवरलाल
2. परमाराम पुत्र स्व० भंवरलाल
3. अनोपदेवी पुत्री स्व० भंवरलाल
4. कानीदेवी पत्नि स्व० भंवरलाल

समस्त जाति जाट नि० ग्राम भदून तह० रूपनगढ़ जिला अजमेर  
राज०

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० फुलेरा मु० सांभरलेक जिला  
जयपुर

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाक्यात इस प्रकार से हैं कि वादी सं० 1 लगा० 3 के पिता व वादी सं० 4 के पति के नाम खाता सं० 76 खं०नं० 387 रकबा 15 बीघा 10 विस्वा बारानी 1 में 1/4 हिस्सा व खाता सं० 75 खं०नं० 368, 396/2 रकबा 13 बीघा 11 विस्वा बारानी 1 में 1/2 हिस्सा वाकै ग्राम छापरी प०ह० छापरी तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में स्थित है जिसमें वादी सं० 1 लगा० 3 के पिता व वादी सं० 4 के पति का नाम भंवरिया दर्ज है। वादी सं० 1 लगा० 3 के पिता व वादी सं० 4 के पति स्व० भंवरलाल उर्फ भंवरिया की मृत्यु दिनांक 11.10.93 को हो चुकी है। वादी सं० 1 लगा० 3 व वादी सं० 4 के पति का नाम आराजी में भंवरिया दर्ज होने से उसको सही करवाने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने मान्य न्यायालय के आदेश लाने के लिए कहा इस कारण उक्त वाद श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से राज पेरोकार उपस्थित है तथा दिनांक 06.07.17 को पटवारी हल्का छापरी ने रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित किया कि ग्राम छापरी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070-73 के खाता सं० 76 में खं०नं० 387

उपखण्ड अधिकारी  
सांभर लेक

रकबा 15 बीघा 10 विस्वा व खाता सं० 75 में खं०नं० 368, 396/2 किता 2 रकबा 13 बीघा 11 विस्वा में भंवरिया पुत्र रामा कौम जाट सा० भदून दर्ज रिकोर्ड है।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत भदून द्वारा जारी सिजरा प्रमाण पत्र, भंवरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी संवत् 2070-73, 2072-75, वादी रामेश्वर का मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशनकार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, वादी सं० 4 का आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति, वादी सं० 2 का डाईविंग लाईसेन्स की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश की है।

वकील वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि वार्के ग्राम छापरी प०ह० छापरी तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में वर्णित आराजीयात खाता सं० 76 खं०नं० 387 रकबा 15 बीघा 10 विस्वा के 1/4 हिस्सा व खाता सं० 75 खं०नं० 368, 396/2 रकबा 13 बीघा 11 विस्वा के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा उक्त खसरा नम्बरान में दर्ज नाम भंवरिया को दुरुस्त कर भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह० फुलेरा को आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में टंकण

करवाया जाकर बाद हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सामर लोक

**अन्तिम लिखी मुकदमा**  
(आर्डी 20 सल 8-7 जाया दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक  
ब्रजलाल श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०ए०ए०  
रामेश्वर वर्यौ बचाम राज० सरकार

मुकाम सांभर लेक

दादा बाबत भोवणा व दुरुस्ती इन्दाज

मुकदमा नंबर 435/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कर्तई सबक श्री झाबरमल चौधरी व हाजरी .....  
मिनजानिब मुद्दई सबक म्हाकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुदम दिया जाता है कि  
वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवारी लिखी क्रिया जाकर भोवणा इस आशय की फरमायी जाती है  
कि वकई ग्राम छापरी प०ह० छापरी तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में वर्णित आराजीयात  
खाता सं० 76 ख०न० 387 रकबा 15 बीघा 10 विस्या के 1/4 हिस्सा व खाता सं० 75 ख०न०  
368, 396/2 रकबा 13 बीघा 11 विस्या के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार कास्तकार  
घोषित किये जाते है तथा उक्त खसरा नम्बरान में दर्ज नाम भंवरिया को दुरुस्त कर भंवरलाल  
दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती किये  
जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निज ..... मुबलिन.....

बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मध्य सूद बशरह.....  
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 03 सन् 2018 को जारी

की गई।

दस्तखत.....  
उप खण्ड अधिकारी  
सांभर लेक

मुहर  
ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये  
दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।